सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2024 / 58 दर्ज तिथिः–23.01.2024

1. अचलाराम पुत्र उरजाराम
   जाति जाट निवासी रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. लाधुराम पुत्र वालाराम
   जाति जाट निवासी आकली तहसील धोरीमन्ना जिला बाडमेर
2. तहसीलदार गुडामालानी

.................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री डालुराम चौधरी
अप्रार्थीगणः–एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

<u>–:निर्णयः–</u>

निर्णय तिथिः–17.01.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 890 / 16 / 0.10 बीघा मौजा रामजी का गोल फांटा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के उक्त खसरा संख्या 890 / 16 में से जरिये पंजीकृत बयनामा दिनांक 19.07.2007 को अप्रार्थी संख्या 01 को 0.04 बीघा भूमि का बेचान किया गया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को उक्त भूमि का बेचान कर कब्जा प्रार्थी की आराजी को दोनों तरफ छोड़ते हुए अप्रार्थी को कब्जा सुपुर्द करवाया गया। परंतु राजस्व कार्मिकों द्वारा प्रार्थी की आराजी की तरमीम लट्ठा ट्रैस में एकल चक के रूप में कर दी गई। जिससे मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड लट्ठा ट्रैस में भिन्नता आ गई। असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट–अ के अनुसार होनी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:34 IST
Reason: SelfAttested

अपेक्षित है। अतः प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार गुड़ामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2115 दिनांक 01.10.2024 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—अ के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में सर्वप्रथम हाल राजस्व नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। प्रकरण में विवादित आराजी का हाल राजस्व नक्शा इस प्रकार हैः—

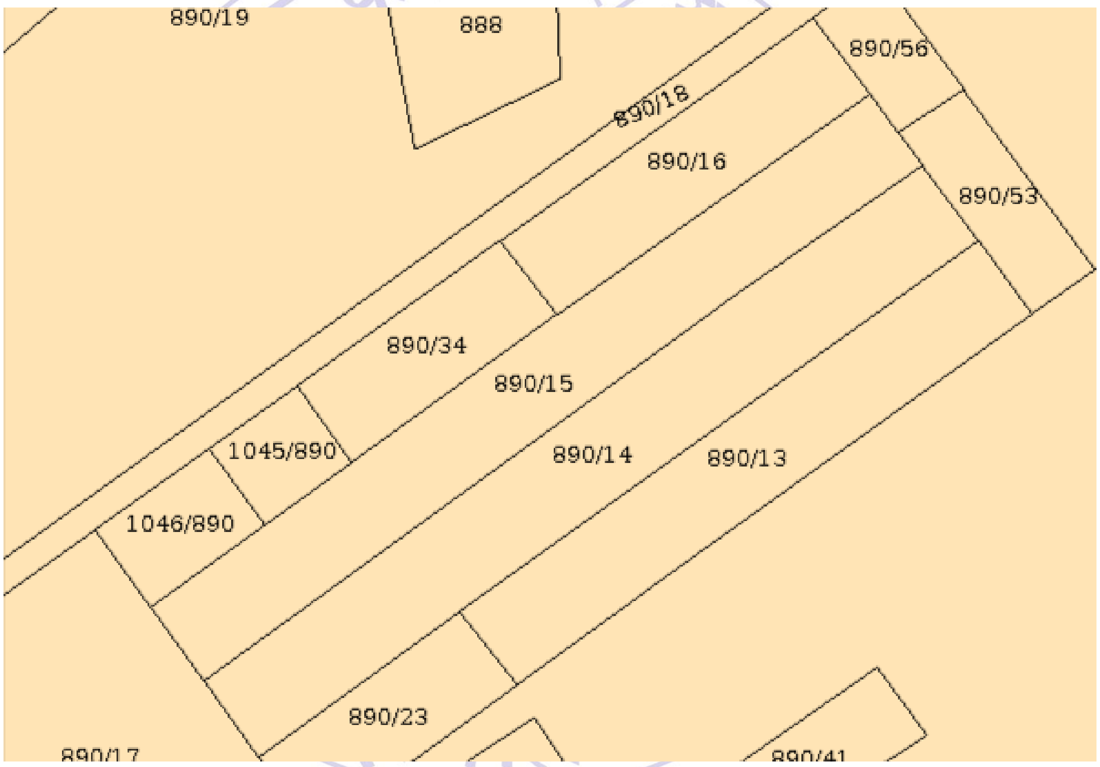

5. उक्त हाल राजस्व नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 890 / 16 तथा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 890 / 34 पडोस में अवस्थित है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट—अ प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:34 IST
Reason: SelfAttested

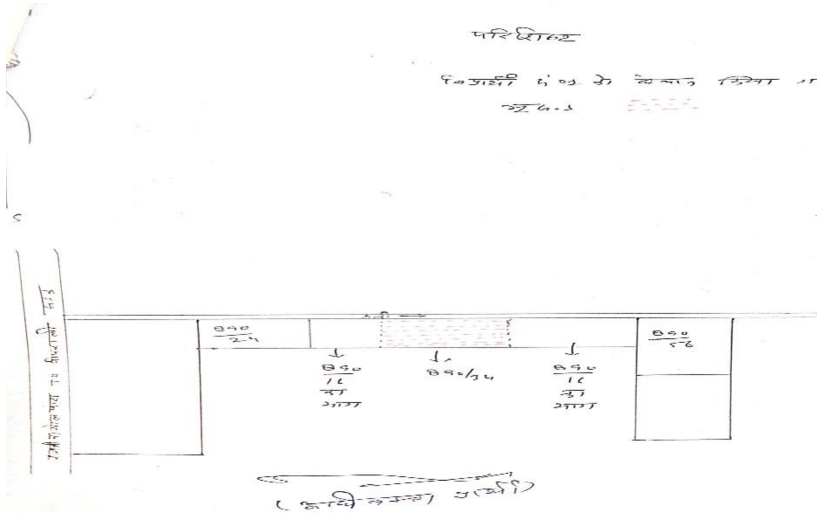

6. प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट—अ के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक ⁄ भू0अ0 ⁄ 2024 ⁄ 2115 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक ⁄ भू0अ0 ⁄ 2024 ⁄ 2115 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः—

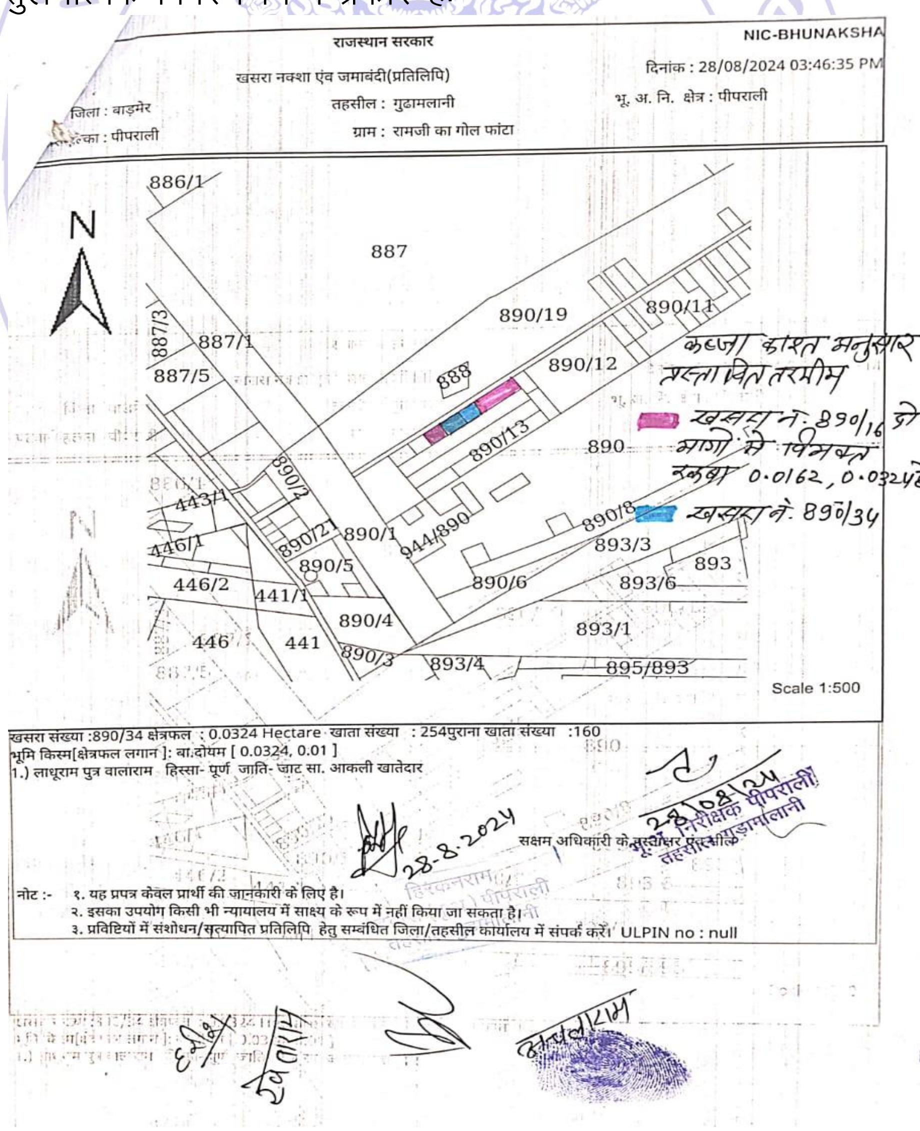

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:34 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2115 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

1. प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 890 / 16 मौजा रामजी का गोल फांटा समानुपातिक रकबे का तितम्मा मौके अनुसार राजस्व नक्शे में अंकित नहीं किया गया है। पंजीयन दस्तावेज में दर्शाये पड़ौस व वर्तमान में मौका कब्जा अनुसार नामांतरकरण दायर नहीं किया गया है। पंजीयन दस्तावेज में पूर्व व पश्चिम की तरफ प्रार्थी की भूमि नहीं रखी गई है।
2. खसरा संख्या 890 / 16 व 890 / 34 का तितम्मा नामांतरकरण व कब्जा–काश्त अनुसार अंकित नहीं किया गया है।
3. आराजी खसरा संख्या 890 / 16 का तितम्मा रकबा पंजीयन दस्तावेज व मौका कब्जा अनुसार नहीं किया गया है।
4. प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 890 / 34 का रकबा 0.0324 है0 यथावत रखते हुए खसरा संख्या 890 / 16 को दो भागों में विभक्त करते हुए कब्जा–काश्त व पंजीयन दस्तावेज अनुसार खसरा संख्या 890 / 34 के पूर्व दिशा में रकबा 0.0324 है0 व पश्चिम दिशा में रकबा 0.0162 है0 दो भागों में विभक्त किया जाना प्रस्तावित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2115 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 890 / 16 तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 890 / 34 पडोस में अवस्थित है। इस प्रकार हाल राजस्व नक्शा व कब्जे अनुसार प्रस्तावित नजरी नक्शा के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा समान है। परन्तु कब्जे के मुताबिक तरमीम नहीं की हुई है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2115 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट से प्रस्तावित तरमीम से प्रार्थी व अप्रार्थी की आराजी का रकबा प्रभावित नहीं होगा। अपितु कब्जे के अनुसार तरमीम दुरूस्ती की जाकर केवल राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2024 / 2115 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू0अ0/2024/2115 दिनांक 01.10.2024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.02.26 16:23:34 IST
Reason: SelfAttested

यह आदेश आज दिनांक 17.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

न्यायालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी
सत्यमेव जयते
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar
Meena
Date: 2025.02.26 16:23:34 IST
Reason: SelfAttested